राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 2367/2011/जोधपुर

मैर्सस L.M.J. सर्विसेज लिमिटेड,
जोधपुर ।
बनाम्
सहायक आयुक्त,
विशेष वृत–II,
जोधपुर।

2.अपील संख्या – 466/2012/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत–II,
जोधपुर।
बनाम्
मैर्सस L.M.J. सर्विसेज लिमिटेड,
जोधपुर ।

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एम मेडतिया,
अभिभाषक । .....व्यवहारी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक। .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक :03.08.2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी व राजस्व द्वारा उक्त कॉस अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.09.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या 54/आर/वैट/2010–11 जोधपुर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त विशेष वृत–II जोधपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एंव 55 के तहत् वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 03.02.2011 को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है। चूंकि दोनों अपीलों में सार तत्व समान है, अतः एक ही आदेश से निष्पादित की जा रहीं है। निर्णय की एक–एक प्रति सम्बन्धित अपील पत्रावली पर रखी गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी के वर्ष

लगातार.....2

2006–07 का कर निर्धारण आदेश राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 26 के तहत दिनांक 03.02.2011 को पारित किया गया था।व्यवसायी इस आलोच्य अवधि में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F12(63)FD/Tax/2005-97 दिनांक 11.10.2006 के तहत 1 प्रतिशत कर दर पर यूज्ड कार की ब्रिकी की गई है। लेकिन उक्त अधिसूचना की प्रथम शर्त के अनुसार यूज्ड कार के विक्रय का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण पत्र मे नहीं पाया गया तथा दूसरी शर्त संख्या 2 के अनुसार उक्त विक्रय की गई यूज्ड कार प्रारम्भ में किस पंजीकृत व्यवसायी से क्रय की गई, इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 11.10.2006 की शर्तो का पालना नहीं किया गया है। जिससे व्यवसायी 1 प्रतिशत से यूज्ड कार विक्रय करने का हकदार नहीं होने से यूज्ड कार की ब्रिकी पर 3 प्रतिशत से अन्तर कर लगाया गया एंव देय कर जमा नहीं होने से धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित करने को विवादित किया गया। इसके विरूद्ध व्यवसायी ने अपीलीय अधिकारी के यहा अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने व्यवसायी की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया। उन्होंने अपने निर्णय में निर्णय दिया की पुरानी क्रय की गई कारों से संबधित साक्ष्य की जांच की जाकर सही पाये जाने पर 1 प्रतिशत से ही करारोपण करें और 3 प्रतिशत अंतर कर व ब्याज को निरस्त कर किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 02.09.2011 से अंसतुष्ट होकर दोनों पक्षों द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपील संख्या 2367/2011 में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 26 में सम्पूरित किये गये कर निर्धारण आदेशों को पुनः खोलने को अविधिक बताया एंव इसके समर्थन में ब्रिगेडियर बी.लाल. बनाम वैल्थ टैक्स अधिकारी जोधपुर 127 आई.टी.आर पेज 308 में ब्लेक स्टोन रबर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सी.आई.टी बनाम केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि छूट गया कर निर्धारण केवल मत भिन्नता के आधार पर सम्पूरित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए Reasion to believe के तत्व का होना आवश्यक है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त तत्व का अभाव है। अतः धारा 26 के तहत छूट गये कर निर्धारण में आरोपित कर व ब्याज की कार्यवाही अवैध है अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को

3.8.2015

लगातार.....3

अविधिक करार देकर आरोपित कर व ब्याज को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 466/2012 में निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.09.2011 को अपास्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करके कर एंव ब्याज को अपास्त किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यूज्ड कार पर जो अंतर कर 3 प्रतिशत से एंव तद्नुरूप ब्याज आरोपित किया गया है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर प्रतिप्रेषित किया जाना तथ्यों एंव विधि के विरूद्ध है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश के अविधिक होनें के आधार पर प्रस्तुत अपील कों अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव रिकार्ड का परिशीलन किया गया।

रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आदेश दिनांक 02.09.2011 के प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.02.2012 पारित कर दिया है । अतः हमारे विनम्र मत में तथा निम्न प्रोद्रित निर्णयों के प्रकाश में उक्त अपीलें सारहीन हो गई है।

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

लगातार.....4

3.8.2015

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

उपरोक्त के अलावा राजस्थान कर बोर्ड के कई निर्णयों में उक्त मत का अनुसरण किया है।

अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः प्रस्तुत दोनों अपीले अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

3.8.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य

3.8.2015

(मदन लाल)

सदस्य